21.5.26

Parvej Khan

R/1397/17

[illegible] NAP [illegible]
[illegible] अधिवक्ता
[illegible] अधिवक्ता [illegible]
में [illegible] द्वारा [illegible]
PWC3 के कथन लिये गये,
जो PW ने अवगत किया
कि उक्त [illegible] CBI जोधपुर
के मुकदमों में अभी तक
कोई [illegible] के कथन
रिकॉर्ड [illegible] का लिया
गया [illegible] के कथन लिये गये।
[illegible]
[illegible] 21.5.26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन